(85)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

निग – 1338 – 16

प्रकरण क्रमांक /2016 निगरानी

लखन सिंह धाकड़ एड. 29-4-16

आवेदिका– कुसुम बाई वेवा वीरसिंह यादव निवासी ग्राम झागर, हाल निवास वार्ड क्र.6 भुजरिया तला रोड मुंगावली, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

बनाम

अनावेदकगण– 1– वृन्दावन सिंह पुत्र प्राणसिंह यादव
2– जीवनसिंह पुत्र प्राणसिंह यादव
निवासी ग्राम झागर, तहसील मुंगावली, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

29.04.16 (Lakhan Singh Dhakad Adv.)

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय, मुगावली जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 37/11–12 अपील रनवान में पारित आदेश दिनांक 25.02.2015 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत ।

माननीय न्यायालय,

आवेदिका की ओर निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 135, 168, 179, 214, 306, 307, 309 एवं 310/1 कुल किता 8 कुल रकवा 10.050 हैक्टेयर में सें 1.677 हैक्टेयर, एवं अन्य भूमि जो राजस्व रिकार्ड में वीरसिहं पुत्र प्राणसिंह अंकित है उक्त विवादित भूमि ग्राम झागर, तहसील मुंगावली, जिला अशोकनगर में स्थित है। उक्त विवादित भूमियों के भूमि स्वामी अर्थात आवेदिका के पति वीरसिहं पुत्र प्राणसिंह की मृत्यु के बाद फौती वारिसान के नामांतरण आधार पर नामांतरण कराने हेतु आवेदन पत्र धारा 109, 110 म.प्र. भू राजस्व संहिता के तहत प्रस्तुत किया तहसील न्यायालय मुगावली के समक्ष प्रस्तुत किया गया । जो प्र.क्र. 27–अ6/10–11 पर दर्ज किया गया, जिस पर अनावेदकगण के द्वारा आपत्ति की गई जिसके आधार पर आवेदिका का नामांतरण का आवेदन पत्र आलोच्य दिनांक 28.11.11 से निरस्त कर दिया गया ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निग./1338/एक/16 जिला अशोकनगर

कुसुम बाई आदि विरूद्ध वृन्दावन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/6/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी मुगावली, जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक:- 37/2011-12/अपील में पारित आदेश दिनांक 25/02/2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 05/8/19 को कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 17/6/19 सदस्य	